राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.3(7)(कृषि–1)/2021
प.1(1)(जी–46)आ.कृ./ग्रुप–6

जयपुर, दिनांक : 20.06.22

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक प.7(31)भर्ती/AO/2017–18/1731 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा कृषि अधिकारी के पद पर चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार राज्यपाल महोदय, कृषि अधिकारी के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.15 (1)एफडी/रूल्स/2017 दिनाक 30.10.2017, दिनांक 09.12.2017 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 के अन्तर्गत शेड्यूल–IV के मेट्रिक्स एल.–14 में कार्यग्रहण तिथि से 2 वर्ष के लिये नियत पारिश्रमिक रूपये 39300/– प्रतिमाह पर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान करते है। परिविक्षाकाल में अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1)एफडी/रूल्स/2017 दिनाक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (पुनरीक्षित वेतनमान) रूल्स 2017 के अन्तर्गत इन्हें नियत पारिश्रमिक रूपये 39300/– (अक्षरे रूपये उन्तालीस हजार तीन सौ मात्र/–) प्रतिमाह देय होगा। इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्रस्तुत पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जाती है।

क्र. सं.	रोल नं.	नाम	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	वर्ग	वर्ग जिसके विरूद्ध चयन	मेरिट क्रमांक	जन्म दिनांक	कार्यालय जहां उपस्थिति प्रस्तुत की जानी है
1	225240	अंकुर भाकर	नन्द राम भाकर	चक 25 एस.एस.डब्ल्यू फतेहगढ, पोस्ट फतेहगढ, जिला हनुमानगढ	GE, WE	GEN FEMALE	32	09.11.1996	कृषि आयुक्तालय
2	221022	प्रभु लाल जाट	रूपा जाट	37 जाटों की गली, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम घणा, पोस्ट खायडा, त. भिनाय, जिला अजमेर	BC	OBC GEN	39	06.06.1994	कृषि आयुक्तालय
3	224947	कुलदीप सिंह	जसवीर सिंह	ग्राम पोस्ट अयालकी, त. पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ	BC	OBC GEN	59	10.07.1998	कृषि आयुक्तालय

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उक्त नियुक्तियाँ निम्नाकित शर्तो के अध्ययधीन होगीः—

1. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।
2. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कृषि अधिकारी के पद पर कृषि आयुक्तालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से मान्य होगी।
3. नव—चयनित कृषि अधिकारी वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नही होगा।
4. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 12(2)एफ.डी./रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के तहत राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधित) नियम 2022 के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
6. पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राज्य सरकार के नियमानुसार नियत पारिश्रमिक या वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. चिकित्सा परिचर्या संबंधी सुविधा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
8. परिवीक्षाधीन अवधि में राज्य सरकार की शर्तों/नियमों के अनुसार राजकीय सेवा करनी होगी।
9. कृषि अधिकारी के पद पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कृषि आयुक्तालय में उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
10. उक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी। परिवीक्षाकाल में सेवाएं संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार परिवीक्षाकाल बढाया जा सकता है या संबंधित सेवा नियम अनुसार सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

11. परिवीक्षाकाल के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समय समय पर जारी निर्देशानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा एवं असाधारण अवकाश स्वीकृत होने की स्थिति में नियमानुसार परिवीक्षाकाल बढ जाएगा।

12. वे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत है, वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

13. उक्त चयनित अभ्यर्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में कृषि आयुक्तालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

14. उक्त नियुक्त कृषि अधिकारियों (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के कार्यग्रहण उपरान्त पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ0 अनिल कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक प.7(31)भर्ती / AO / 2017–18 / 1731 दिनांक 09.12.2021 के संदर्भ मे।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत, आयुक्त, कृषि विभाग।
7. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमांक प–1 (1)(जी–39)आ0कृ0/ग्रुप–6/ 13106–115 **दिनांकः–** 23-06-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।

2 निजी सचिव, संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।

3 आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय जयपुर।

4 सहायक प्रोग्रामर, निजी कक्ष, संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) जयपुर को विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

5 प्रभारी, ओ0एण्डएम0 शाखा मुख्यालय जयपुर।

6 सम्बन्धित अधिकारी ————————— ।

7 निजी/ आरक्षी पंजिका।

23/6/22

(कैलाश चन्द मीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)